

विधान सभा सचिवालय
मध्यप्रदेश
//शुद्धि पत्र//

दिनांक 04.12.2025 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावें।

भाग-2 नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या एवं क्रमांक	मुद्रित पृष्ठ	अशुद्ध	शुद्ध
(1)	(2)	(3)	(4)
परि.अता.प्र.सं.80 (क्र.883) प्र. (क)	71	आरफि को नोटिस	आरिफ को नोटिस
परि.अता.प्र.सं.113 (क्र.1150) प्र. (क)	97	प्रश्नाकर्ता को	प्रश्नकर्ता को
परि.अता.प्र.सं.126 (क्र.1219) प्र. (क) एवं (ख)	107	जबाबदार है ?	जवाबदार है ?
परि.अता.प्र.सं.126 (क्र.1219) प्र. (ख) एवं (ग)	108	जबाबदारी नहीं बनती	जवाबदारी नहीं बनती
परि.अता.प्र.सं.138 (क्र.1284) शीर्षक	115	क्षतिग्रस्त स्कूल	क्षतिग्रस्त स्कूल
परि.अता.प्र.सं.139 (क्र.1297) उ. (क)	116	मध्यप्रदेश शासन	मध्यप्रदेश शासन
परि.अता.प्र.सं.145 (क्र.1326) प्र. (ग)	120	जनकारी दें	जानकारी दें
परि.अता.प्र.सं.152 (क्र.1351) प्र. (क)	124	अन्तर्गत	अन्तर्गत
परि.अता.प्र.सं.153 (क्र.1372) शीर्षक	125	एनआरआई नासिंग	एनआरआई नर्सिंग

भाग- 3 अतारांकित प्रश्नोत्तर

अता.प्र.सं.83 (क्र.856) प्र. (घ)	196	बच्चों की मुक्त शिक्षा	बच्चों की मुफ्त शिक्षा
अता.प्र.सं.159 (क्र.1289) प्र. (ग)	247	प्रचार्य द्वारा	प्राचार्य द्वारा
अता.प्र.सं.176 (क्र.1394) उ. (क)	256	म.प्र. भूरा संहिता	म.प्र.भू.रा. संहिता

नोट:- (1) दिनांक 04.12.2025 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 04 (क्र.1117) एवं

12 (क्र.476) का पृथकतः वितरति पुनरीक्षित उत्तर पढ़ा जावे।

नोट:- (2) तारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र.1185) का पृथकतः वितरति उत्तर पढ़ा जावे।

स्थान :- विधान सभा भवन

भोपाल

दिनांक :- 03.12.2025

अरविंद शर्मा

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश विधान सभा